सिंचाई अनुभाग–1
संख्या– —/ ।।(1)–2019–02(05)/2019
देहरादून: दिनांक 25 जून, 2019

कार्यालय ज्ञाप

एतद्द्वारा स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 में निहित प्राविधानानुसार निम्नलिखित **अधिशासी अभियन्ता (सिविल)** को उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम 3 में अंकित वर्तमान तैनाती स्थल से कॉलम 4 में अंकित नवीन तैनाती स्थल पर तत्काल प्रभाव से स्थानान्तरित किया जाता है :–

क्र0 सं0	अभियन्ता का नाम/पदनाम	वर्तमान तैनाती स्थल	नवीन तैनाती स्थल	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
	अधिशासी अभियन्ता (सिविल) का सुगम से दुर्गम में अनिवार्य स्थानान्तरण			
1	श्री रघुवर दत्त पन्त/ पिथौरागढ़/30.06. 1960	अनुसंधान एवं नियोजन खण्ड, देहरादून	प्रमुख अभियन्ता कार्यालय, देहरादून।	स्थानान्तरण अधिनियम की धारा 7(घ) (एक) के अधीन वरिष्ठ नागरिक होने के कारण सुगम से सुगम में ही स्थानान्तरण।
2	श्री प्रसिद्ध नारायण राय/ गोरखपुर/30.07.70	सिंचाई खण्ड, कालसी	अवस्थापना (पुनर्वास) खण्ड, टिहरी	स्थानान्तरण अधिनियम की धारा 17.(1)(क) के अन्तर्गत अनिवार्य स्थानान्तरण।
	अधिशासी अभियन्ता (सिविल) दुर्गम से सुगम में अनुरोध के आधार पर स्थानान्तरण			
1–	श्री सुबोध मैठाणी/ चमोली/19.05. 1976	अवस्थापना पुनर्वास खण्ड, टिहरी	सिंचाई खण्ड, दुगड्डा	स्थानान्तरण अधिनियम की धारा–17(1)(ख) (चार) के के अन्तर्गत।
	अधिशासी अभियन्ता (सिविल) का दुर्गम से सुगम में अनिवार्य स्थानान्तरण			
1	श्री राजीव कुमार गोस्वामी/ टिहरी/19.03.1964	PMGSY, सिंचाई खण्ड, उत्तरकाशी	जल विज्ञान ईकाई–1, बहदराबाद	स्थानान्तरण अधिनियम की धारा 17(1)(ग) के अन्तर्गत।
2	श्री चन्द्र किशोर/टिहरी/ 18.06.1966	PMGSY, सिंचाई खण्ड, लोहाघाट	सिंचाई खण्ड, कालसी	स्थानान्तरण अधिनियम की धारा 17.(1)(ग) के अन्तर्गत।

2– उक्त कार्मिक नवीन तैनाती के स्थान पर आदेश जारी किये जाने के दिनांक से एक सप्ताह के अन्दर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार ग्रहण करेंगे।

3– उक्त कार्मिक नियमानुसार अनुमन्य कार्यभार ग्रहण अवधि (Joining Time) का उपभोग नवीन तैनाती के पद का कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त ही कर सकेंगे तथा अवमुक्ति के उपरान्त मात्र अनुमन्य यात्रा अवधि का ही उपभोग कर सकेंगे।

4- उक्त स्थानान्तरित कार्मिकों को किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।

5- उक्त स्थानान्तरित कार्मिक के द्वारा नव तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरूद्ध स्थानान्तरण अधिनियम की धारा 24 के अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।

6- यदि उपरोक्त स्थानान्तरित कार्मिकों द्वारा स्थानान्तरण रोकने के लिये अपने माता-पिता, पति/ पत्नी अथवा अन्य सम्बन्धियों से प्रत्यावेदन प्रेषित किये जाते हैं तो उसे अनिवार्य रूप से उस कार्मिक की व्यक्तिगत पत्रावली में रखा जायेगा और ऐसे प्रत्यावेदनों को अग्रसारित नहीं किया जायेगा तथा सम्बन्धित कार्मिक की वार्षिक गोपनीय प्रविष्टि में भी इस आचरण को अंकित किया जायेगा।

7- यदि उपरोक्त कार्मिकों द्वारा स्थानान्तरण आदेश के विरूद्ध दबाव डलवाने का प्रयास करे तो, उनके इस कृत्य/आचरण को सरकारी सेवक आचरण नियमावली, 2003 का उल्लंघन मानते हुये उनके विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।

8- यदि स्थानान्तरित कार्मिक उक्त आदेश के अनुपालन करने में असफल रहतें हैं या स्थानान्तरण अधिनियम के किन्हीं उपबन्धों का उल्लंघन करेंगे या उल्लंघन करने का प्रयास करेंगे, तो उनका उक्त कृत्य उत्तराखण्ड सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 2003 के संगत प्राविधानों के अधीन दण्डनीय होगा।

(डा0 भूपिन्दर कौर औलख)
सचिव।

संख्या- 1077 / II(1)-2019-02(05)/2019 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी), ओबराय मोटर्स बिल्डिंग, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. महालेखाकार, ऑडिट वैभव पैलेस, इन्दिरा नगर, देहरादून।
3. प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन को मा0 मुख्यमंत्री जी के संज्ञानार्थ।
4. निजी सचिव, मा0 सिंचाई मंत्री जी को मा0 मंत्री जी के संज्ञानार्थ।
5. आयुक्त गढ़वाल मण्डल, पौड़ी/कुमायूं मण्डल, नैनीताल, उत्तराखण्ड।
6. समस्त जिलाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
7. प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई विभाग, देहरादून।
8. सम्बन्धित अधिकारी द्वारा प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
9. गार्ड फाईल/बेवसाइट पर अपलोड।

आज्ञा से,

(रणजीत सिंह)
उप सचिव।